रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2015/ज्येष्ठ 6, 1937
No. 186] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2015/JYAISTHA 6, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

(मई 2015 के 15वें दिन पारित)

मुम्बई, 21 मई, 2015

सं. टीएएमपी/60/2012–एनएमपीटी.—इस प्राधिकरण ने दीर्घावधि/अल्पावधि आधार पर आबंटित किए गए पत्तन भूखंड के पट्टा किराये के संशोधन के लिए न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित मामला सं. टीएएमपी/60/2012–एनएमपीटी में एक आदेश दिनांक 20 मई, 2014 पारित किया था। यह आदेश 1 जुलाई, 2014 को राजपत्र सं. 193 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग–III, खण्ड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. पृष्ठ सं. 4 पर उक्त आदेश के हिन्दी पाठ में अनुच्छेद सं. 3.1 (vii) के उप–बिन्दु सं. (ग) की तालिका के ऊपर दायां कोना में चूक संबंधी मुद्रण त्रुटि देखी गई है। इसके मद्देनजर, ये शब्द (रु. लाखों में प्रति एकड़) को उक्त आदेश के हिन्दी पाठ में अनुच्छेद सं. 3.1 (vii) के उप–बिन्दु सं. (ग) के नीचे तालिका के अंतिम कॉलम के ऊपर दायें कोने में शामिल किए गए हैं।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन–III/4/असा./143/2015(81)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

CORRIGENDUM

(Passed on this 15th day of May, 2015)

Mumbai, the 21st May, 2015

No. TAMP/60/2012-NMPT.—This Authority had passed an Order dated 20 May, 2014 in Case No.TAMP/60/2012-NMPT relating to proposal received from the New Mangalore Port Trust for revision of lease rental of port land allotted on

long term/short term basis. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 1 July, 2014 *vide* Gazette No.193.

2. A printing error relating to omission has been observed in the Hindi Version of the said Order at page no.4, right corner above the table of sub-point No. (**ग**) of paragraph no.3.1 (vii). In view of this, the words (**रू.लाखों में प्रति एकड़**) are incorporated at right corner above the last column of table under sub-point No. (**ग**) of paragraph no.3.1 (vii) in the Hindi Version of the said Order.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/2015(81)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.